बाल्यावस्था देखभाल एवं पूर्व–प्राथमिक शिक्षा :राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

पूनम चौरसिया
सहायक आचार्य, शिक्षक शिक्षा विभाग, बलराम कृष्ण एकेडमी, मोहनलालगंज, लखनऊ

सारांश

मनुष्य के जीवन में शैशवास्था का महत्व अत्यधिक है। मनुष्य के व्यक्तित्व की नींव इसी अवस्था में पड़ती है, अस्तु इस अवस्था मे बच्चों की शिक्षा का वैज्ञानिक एवं सुव्यवस्थित प्रबन्ध होना राष्ट्र की महती आवश्यकता है। शिक्षा वह आधार है, जिस पर हम आने वाले भविष्य का निर्माण करते है। शिशु शिक्षा राष्ट्र की नींव है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा ही प्राथमिक शिक्षा के लिए एक सशक्त प्रष्ठभूमि तैयार करती है। वर्तमान समय में, विशेष रूप से सामाजिक– आर्थिक रूप से वंचित प्रष्ठभूमि के करोड़ो बच्चों के लिए गुणवत्ता पूर्ण प्रारंम्भिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा उपलब्ध नहीं है इसलिए ईसीसीई में निवेश करने से इसकी पहुंच देश के सभी बच्चों तक हो सकती है जिससे सभी बच्चो को शैक्षिक प्रणाली मे भाग लेने और तरक्की करने के अवशर मिल सकेंगे। ईसीसीई , सम्भवतः समता स्थापित करने में सबसे शक्तिशाली माध्यम हो सकता है। प्रारम्भिक बाल्यावस्था विकास, देखभाल के लिए गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के सार्वभौमिक प्रावधान को जल्द से जल्द, निश्चय ही उपलब्ध किया जाना चाहिये, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पहली कक्षा मे प्रवेश पाने वाले सभी बच्चे स्कूली शिक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार हों ।भारत मे बच्चों के विकास को प्रोत्साहित करने के कोर बच्चों मे ''संस्कार'' या बुनियादी मूल्यों तथा सामाजिक कौशल को जागृत करने के लिए करने के लिए अनेक प्रथाओं की समृद्ध विरासत उपलब्ध है। राष्ट्रीय शिक्षा नीसे 2020 मे ईसीसीई दारा राष्ट्रीय अर अन्तर्राष्ट्रीय नवाचार एवं सर्वोत्तम प्रथाओं पर नवीनतम शोध को शामिल करने पर बल दिया जा रहा है। विशेष रूप से, उन प्रथाओं को जो भारत मे कई शताब्दियों से बाल्यावस्था की शिक्षा के विकास के लिए समृद्ध है और वे स्थानीय परम्पराओं मे विकसित कला, कहानियां, खेल गीत बहुत कुछ शामिल है। शिक्षा का यह मॉडल माता–पिता दोनों के साथ–साथ प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के लिए भी एक मार्गदर्शक के रूप में काम करेगा। ईसीसीई का समग्र उद्देश्य बच्चों का शारीरिक–भौतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, समाज–सर्वेगात्मक, नैतिक 'विकास, सांस्कृतिक विकास, संवाद के लिए प्रारम्भिक भाषा, साक्षारता और संख्यात्मक ज्ञान के विकास में अधिकतम परिणामों को प्राप्त करना है। प्रस्तुत शोध प्रपत्र मे प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, का वर्तमान भारतीय शिक्षा प्रणाली मे आवश्यकता एवं महत्व एवं इसकी गुणवत्ता पर शोधकर्ती द्वारा प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है।

संकेत शब्द *– बाल्यावस्था, पूर्व प्राथमिक शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति– 2020।*

प्रस्तावना :–

एक हजार मील, सफलता की यात्रा का प्रारम्भ भी एक कदम से ही होता है, ठीक उसी प्रकार पूर्व–प्राथमिक शिक्षा एवं देखभाल भी मनुष्य जीवन की यात्रा के प्रारम्भ का पहला कदम है क्योंकि बच्चे किसी भी राष्ट्र के महानतम संसाधन स्रोत होते हैं उनके शारीरिक मानसिक विकास में परिवार और विद्यालय, दोनों की अहम भूमिका होती है। प्रत्येक समाज बच्चों के लिए यथासंभव उचित शिक्षा की व्यवस्था करता है। अनेक शोध परिणामों के आधार पर स्पष्ट है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा बच्चों के आगे की शिक्षा और सम्पूर्ण जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण घटक साबित होती है। क्योंकि यह प्राथमिक शिक्षा के लिए एक सशक्त पृष्ठभूमि तैयार करती है। जीवन काल मे होने वाले अधिकांश अनुभवों से बालक प्रारम्भ के पांच वर्षो मे ही परिचित हो जाता है क्योंकि इस अवस्था मे बालक का मस्तिष्क एक स्वच्छ स्लेट की भाँति होता है और अच्छी आदतों को

डालने का उपयुक्त समय जीवन का प्रारम्भिक काल ही है। बच्चों के जीवन के प्रारंभ के छह वर्ष उनके व्यक्तित्व विकास की अत्यन्त नाजुक अवस्था है और इसका प्रभाव उनके आगे की शिक्षा एवं जीवन पर होता है।

पूर्व प्राथमिक शिक्षा का अर्थ :–

हमारे देश में पूर्व प्राथमिक शिक्षा विभिन्न रूपों में उपलब्ध है। 3–6 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को 2025 तक मुफ्त सुरक्षित, उच्च गुणवत्ता युक्त, विकास की दृष्टि से उपयुक्त, ''देखभाल और शिक्षा तक पहुँच प्राप्त है। ईसीसीई के लिए आयु समूह 0–8 वर्ष हैः 0–3 वर्ष, स्वास्थ्य, माँ और बच्चे के पोषण पर ध्यान देने के साथ 3–8 साल, स्वास्थ्य, पोषण, स्वयं सहायता कौशल, स्कूल की तैयारी और खेल और गतिविधि आधारित शिक्षण पर ध्यान केन्द्रित करना है। बच्चों का निशुःल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ, ने अधिनियम की धारा 11 के तहत ईसीसीई को भी संबोधित किया है, जिसमे कहा गया है ''एक वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को तैयार करने की दृष्टि से प्रारम्भिक शिक्षा के लिए तीन वर्ष और सभी बच्चों की छह वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करने के लिए, उपयुक्त सरकार ऐसे बच्चों के लिए मुफ्त स्कूल और पूर्व–प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर सकती है। प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) जन्मपूर्व से छह वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कार्यक्रमों और प्रावधानों को संदर्भित करता है, जो विकास के सभी क्षेत्रों, अर्थात शारीरिक, मानसिक,भावात्मक संज्ञानात्मक, मनोसंक्रियात्मक और रचनात्मक बच्चों की जरूरत, को पूरा करना है और सौंदर्य प्रशंसाय और स्वास्थ्य पोषण पहलुओं के साथ तालमेल सुनिश्चित करना है। इस प्रकार यह नीति सभी क्षेत्रों की सभी व्यवस्थाओं मे सार्वजनिक, निजी, और स्वैच्छिक क्षेत्रों मे प्रारम्भिक देखभाल और शिक्षा कार्यक्रमों/संबंधित सेवाओं पर लागू होती है जो 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को दी जाती है। ये सेवाएं आँगनबाड़ियो। (एडब्ल्यूसी) क्रेच, प्ले ग्रुपध स्कूल, प्रीस्कूल, नर्सरी स्कूल किंडरगार्टन, प्रिपरेटरी स्कूल, बालवाड़ी, घर आधारित देखभाल आदि नाम से की जा सकती है और जन्म से 6 वर्ष तक के बच्चों की जरूरतों को पूरा करने का प्रस्ताव करती है। शहरी क्षेत्रों में इसका संगठित रूप देखने को मिलता है तथा अन्य क्षेत्रों में समेकित बाल विकास योजना के अंतर्गत आगनवाड़ी और बालवाणी संस्थाएँ इस कार्य मे सहयोग देती हैं। भारतीय संदर्भ में वर्तमान ढाँचे को देखे तो ज्ञात होता है कि एक ओर व्यवस्थित प्रबंधतंत्र द्वारा व्यवसायिक स्तर पर शहरी क्षेत्रो मे चलाये जा रहे नर्सरी स्कूलों की भरमार है और दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों तथा शहर की झुग्गी–झोपड़ी में रहने वाले बच्चों के लिए व्यवस्थित और सुनियोजित प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था का पूर्ण अभाव है। नर्सरी स्कूलो मे से अधिकतर केवल प्राथमिक स्कूलों का लघु रूप बनकर रह गये। जहा' छोटे बच्चों को औपचारिक रूप से पढ़ने लिखने तथा गणित की शिक्षा, दी जाती है। इस तरह बच्चों पर अनावश्यक बोझ व दबाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त कुछ नर्सरी स्कूल, बच्चों को विदेशी सिद्धांतों के आधार पर ऐसी शिक्षा देने का प्रयास करते हैं, जो बच्चों को उनके परिवेश व पृष्ठभूमि से नहीं जोड़ पाती है।

पूर्व प्राथमिक शिक्षा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि :–

स्वतन्त्रता से पूर्व भारत मे प्राथमिक शिक्षा का विकास असंतोषजनक रहा। इस दिशा मे सर्वप्रथम ईसाई''मिशनरियो दारा महत्पूर्ण कदम उठाते हुए 1874 मे लखनऊ मे लारेटो कान्वेन्ट तथा 1884 मे पूना मे सेन्ट हिलडाज नर्सरी की स्थापना की गई। सन 1920 मे गिजू भाई बधेका द्वारा भावनगर मे दक्षिण मूर्ति बालमन्दिर का गठन किया गया श्रीमती ताराबाई मोढ़क के सहयोग से नूतन शिक्षण संघ की स्थापना हुई। पुनः 1937 में वुड–एक्ट की रिपोर्ट मे पूर्व प्राथमिक विद्यालयों को खोलने की संस्तुति की गई। 1939–40 में मैडम मानटेसरी द्वारा भारत को प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र मे भारत को एक नया मार्गदर्शन मिला। मान्टेसरी

इन्टरनेशनल एसोशियेशन की ओर से 4 माह की मान्टेसरी विधि का प्रशिक्षण केन्द्र हैदराबाद में खोला गया। मुम्बई, मैसूर, मद्रास और उत्तर प्रदेश मे भी प्रशिक्षण संस्थाएं खोली गई। 1944 मे सार्जेण्ट योजना शिशु शिक्षा के सम्बंध में सुझाव दिये गये। शिक्षा योजना की सफलता हेतु शिशुशाला की स्थापना की जाये इसमे 3–6 वर्ष के बालको को प्रवेश दिया जाए।।गांव मे शालाओ को जूनियर और बेसिक पाठशालाओ से सम्बद्ध किया जाए शहरी क्षेत्रो मे अलग से शिशु शालाओ की स्थापना की जाए। यह शिक्षा पूर्ण रूप से निशुल्क होगी। सरकार की तरफ से इस शिक्षा योजना पर प्रतिवर्ष लगभग तीन करोड़ रूपए खर्च किए जायेगे। शिक्षण कार्य के लिए यथासंभव विशिष्ट रूप से प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्त किए जाने की सिफारिश की गई।

मैसूर प्राइमरी एजुकेशन रिपोर्ट 1961 की संस्तुतिया : इस रिपोर्ट के अनुसार विकास के लिए शीघ्र ही पूर्व प्राथमिक शिक्षा का विकास, प्रमुख दायित्व होना चाहिए, अध्यापकों की नियुक्ति का दायित्व पंचायतों को दिया जाए। यथासंभव महिला शिक्षिकाओं की नियुक्ति की जाये। ग्रामीण क्षेत्रों मे आवश्यक रूप से पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था, विद्यालय भवन के निर्माण दायित्व ग्राम पंचायतों को दिया जाए।

प्रारंभिक बाल्यावस्था और देखभाल हेतु पूर्व प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व :–

पूर्व प्राथमिक शिक्षा बालको के जीबन का महत्व पूर्ण अंग है। अतः इस बात की आवश्यकता है कि इस आयुवर्ग के बच्चों की क्षमता, आवश्यकता तथा ग्रहणशीलता के स्तर को देखते हुए पूर्व–प्राथमिक शिक्षा का ऐसा कार्यक्रम तैयार किया जाये जो बच्चे के परिवेश व परिस्थितियों के अनुकूल हो। साथ ही वह उनके विकास को गति प्रदान करे ।इसी संदर्भ में सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा 2020 में पूर्व प्राथमिक शिक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रावधान किये गये हैं। किसी भी राष्ट्र की शिक्षा मे शिशु शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान होता है क्योंकि शिशु राष्ट्र की वास्तविक सम्पत्ति होते हैं, जो बड़े होकर राष्ट्र की सेवा करके विकास में सहयोग करते है। शिक्षा,पूर्ण मानव क्षमता को प्राप्त करने का न्यायसंगत और न्यायपूर्ण समाज के विकास को बढ़ावा देने के लिए मूलभूत आश्यकता है। गुणवत्तायुक्त शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुँच प्रदान करना वैश्विक मंच पर सामाजिक न्याय और समानता और समान वैश्विक उन्नति, राष्ट्रीय एकीकरण और सांस्कृतिक संरक्षण के संदर्भ में भारत की सतत प्रगति और आर्थिक विकास की कुंजी है।

अगले दशक में भारत दुनिया का सबसे अधिक युवा जनसंख्या वाला राष्ट्र होगा और इन युवाओं को उच्चतर गुणवत्तायुक्त शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराने पर ही भारत का भविष्य निर्भर करेगा। अधिकांश घरों का वातावरण विषाक्तपूर्ण है। माता–पिता मे ईर्ष्या तथा तनाव होने के कारण शिक्षा उचित एवं प्रभावी ढंग से नही हो पाती। कुछ घरों का वातावरण तो बालको के विकास मे पूर्ण बाधक होता है। इस कारण से भी पूर्व प्राथमिक शिक्षा एवं देखभाल की व्यवस्था की महती आवश्यकता है। परिवार पर सामाजिक और आर्थिक महत्व बढ़ने से शैक्षिक महत्व कम होता जा रहा है माता–पिता का सारा समय और शक्ति आर्थिक समस्याओं के समाधान में व्यय हो जाता है इन सब क्रिया– कलाप मे व्यस्तता के कारण बच्चों समय नही दे पाते। इस लिए नर्सरी स्कूलों की व्यवस्था बच्चों के लिए अति आवश्यक है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था का सबसे बड़ा कारण यह भी है कि माता–पिता बालकों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं तथा शिक्षा की आधुनिक विधियों से से पूर्ण रूप से अपरिचित होते हैं और बालकों को शिक्षा देने में असमर्थ होते है। आजकल अध्यापन कार्य विशिष्ट योग्यता तथा प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों का क्षेत्र समझा जाता है। इसलिए नर्सरी पाठशालाओ की आवश्यकता प्रतीत होती है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा ही प्राथमिक शिक्षा के लिए सशक्त पृष्ठभूमि तैयार करती है यदि बालको को प्राथमिक विद्यालयों मे प्रवेश होने से पहले वांछित अनुभवों को प्रदान किया जाए तो निश्चित रूप से उनका शैक्षिक स्तर उन्नत 'किया जा सकता है। शैशवाल्या बालक का निर्माण काल माना गया है। इस दृष्टि से भी न नर्सरी विद्यालयों की महती आवश्यकता है। प्रारंभिक जीवन के संस्कार की जीवन–पर्यन्त बने रहते है इसलिए भी पूर्व प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था द्वारा बालकों को स्वस्थ और बांछित

संस्कार प्रदान करके उसके भावी जीवन की नींव सुदृढ बनाई जा सकती ही आधुनिक समय मे महिलाएँ भी किसी न किसी व्यवसाय एवं नौकरी में संलग्न होने के कारण बच्चों को समय एवं शिक्षा नही दे पाती हैं इस लिए भी एक ऐसे अभिकरण की आवश्यकता है जहाँ पर बच्चों का लालन पालन तथा शिक्षा–दीक्षा उचित ढंग से हो सके।

ईसीसीई मे नई शिक्षा नीति 2020 की भूमिका :–

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मे पिछली नीतियाँ मे ईसीसीई के लिए जो प्रावधान किए गए उनको ध्यान मे रखकर शिक्षा को देश के प्रत्येक बच्च्चे तक पहुँच के मुद्दों पर आधारित है। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसे 1992 (एनपीई 1986ध्92) में संशोधित किया गया था, के अधूरे काम को इस नीति के द्वारा पूरा करने का भरपूर प्रयास किया गया है। 1986ध्92 की पिछली नीति के बाद से एक बड़ा कदम निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 रहा है जिसने सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा सुलभ कराने हेतु कानूनी आधार उपलब्ध करवाया। इस नीति के आधार प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा को ध्यान मे रखते हुए शिक्षाविदों द्वारा संस्तुतियां प्रस्तुत की गई क्योंकि शैक्षिक प्रणाली का उद्देश्य देश के लिए योग्य नागरिको का विकास है जो तर्क संगत विचार और कार्य करने मे सक्षम हो, जिसमे करुणा और सहानुभूति ,साहस और लचीलापन, वैज्ञानिक चिन्तन और रचनात्मक कल्पना शक्ति नैतिक मूल्य और आधार हो। ऐसे लोग तैयार किये जायें जो कि अपने संविधान द्वारा परिकल्पित–समावेशी और बहुलतावादी समाज के लिए निर्माण मे बेहतर योगदान कर सके। एक उपयुक्त एवं योग्य शैक्षणिक संस्था वह होती है. जिसमे प्रत्येक छात्र का स्वागत किया जाये जहाँ एक सुरक्षित प्रेरणादायक दायक शिक्षण वातावरण मौजूद हो और वहाँ सभी विदार्थियों को सीखने के लिए विविध प्रकार के उपयुक्त संसाधन उपलब्ध हो और विविध प्रकार के अनुभव उपलब्ध कराए जाए और जहाँ सीखने लिए उचित बुनियादी ढाँचे और उपयुक्त संसाधन उपलब्ध हों। NEP 2020 के अनुसार यह सब हासिल करना प्रत्येक शिक्षा संस्थान का लक्ष्य होगा साथ ही विभिन्न संस्थानों के मध्य शिक्षा के हर स्तर पर परस्पर सहज जुड़ाव और समन्वय आवश्यक होगा। इसके अतिरिक्त मूलभूत सिद्धांत जो राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली और साथ ही व्यक्तिगत संस्थानों दोनों को का मार्गदर्शन करेंगे । हर बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं की स्वीकृति एवं क्षमताओं के प्रति संवेदनशीलता, बुनियादी शिक्षा और संख्यात्मक ज्ञान को सर्वाधिक प्राथमिकता दी जायेगी जिससे सभी बच्चे कक्षा तीन तक साक्षारता और संख्यात्मक ज्ञान जैसे सीखने के मूलभूत कौशलों को हासिल कर सके। पूरे देश में प्रारम्भिक बाल्यावस्था एवं देखभाल के लिए उच्चतर गुणवत्तायुक्त आगनवाड़ी और बालवाडी की स्थापना, आगनवाड़ी कार्यकत्रियो, शिक्षको को प्रशिक्षण के माध्यम से सशक्त बनाना, 5 वर्ष की आयु से पूर्व प्रत्येक बच्चा प्रारम्भिक कक्षा या बालवाटिका मे जो कि कक्षा 1 से पहले मे स्थानान्तरित होगा, ऐसे शिक्षकों की नियुति होगी जो बालको का संज्ञानात्मक, भावात्मक और शारीरिक मानसिक क्षमताओं, और प्रारम्भिक साक्षारता और संख्या ज्ञान विकसित करने में सक्षम होंगे। नई शिक्षा नीति के तहत चरणबद्ध तरीके से आदिवासी बहुल क्षेत्रों में आश्रमशालाओं की स्थापना, ईसीसीई का पाठ्यक्रम और शिक्षण–विधि का निर्धारण मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा निर्धारित किया जायेगा, ताकि प्राथमिक विद्यालय के माध्यम से पूर्व प्राथमिक विद्यालय तक इसकी निरंतरता सुनिश्चित की जा सके और शिक्षा के मूलभूत पहलुओ पर ध्यान केन्द्रित किया जा सके। प्रारंभिक बालावस्था देखभाल और शिक्षा, पाठ्यक्रम की आयोजना और क्रियान्वयन मानव संसाधन विकास मंत्रालय महिला और बाल विकास (डब्ल्यूसीडी) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा संगठित रूप से किया जायेगा, स्कूली शिक्षा मे प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के सुचारू एकीकरण एवं सतत मार्गदर्शन के लिए एक विशेष संयुक्त कार्य का गठन किया जायेगा ।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मे पूर्व प्राथमिक शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा के पूर्व की शिक्षा के रूप में स्वीकार करते हुए प्रमुख बिन्दुओ पर विचार किया गया है,जो निम्नवत है–

- प्रत्येक प्राथमिक शिक्षा केन्द्र में पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था अनिवार्य है।
- विशेष प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक, शिक्षिकाओं को प्राथमिकता,
- पूर्व प्राथमिक शिक्षा केन्द्रों तथा प्राथमिक विद्यालयों में सामजस्य होना,
- पूर्व प्राथमिक शिक्षा व प्राथमिक शिक्षा से संबंधित सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शिशु उद्दीपन का तत्व, पूर्व प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में संदर्भ साहित्य तथा प्रशिक्षण सामग्री का विकास,
- सीधे कक्षा 1 मे प्रवेश लेने वाले प्रत्येक बच्चे को विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम का लाभ, स्कूल रेडिनेस को कक्षा 1 के पाठ्यक्रम का अनिवार्य अंग,
- पूर्व प्राथमिक कक्षा मे प्रवेश के लिए बच्चे से किसी भी पूर्व ज्ञान की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए।

ईसीसीई सम्भवतः समता स्थापित करने मे सबसे महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली माध्यम हो सकता है। प्रारम्भिक बाल्यावस्था विकास, देखभाल के लिए उच्चतर गुणवत्तायुक्त शिक्षा के सार्वभौमिक प्रावधान को जल्द से जल्द निश्चय ही वर्ष 2030 से पूर्व, उपलब्ध किया जाना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पहली कक्षा मे प्रवेश पाने वाले सभी बच्चे स्कूली शिक्षा के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

ईसीसीई में मुख्य रूप से लचीली, बहुआयामी, बहु–स्तरीय, खेल–आधारित, गतिविधि–आधारित, और खोज–आधारित शिक्षा को शामिल किया गया है। जैसे अक्षर, भाषा, संख्या, गिनती, रंग, आकार, इंडोर एवं आउटडोर खेल, पहेलियाँ और तार्किक सोच, समस्या सुलझाने की कला, चित्रकला, पेंटिंग, अन्य दृश्य कला, शिल्प नाटक कठपुतली, संगीत तथा अन्य गतिविधियों को शामिल करते हुए इसके साथ अन्य कार्य जैसे सामाजिक कार्य, मानवीय संवेदना, अच्छे व्यवहार, शिष्टाचार, नैतिकता, व्यक्तिगत और सार्वजनिक स्वच्छता, समूह में कार्य करना और आपसी सहयोग को विकसित करने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। ईसीसीई का समग्र उद्देश्य बच्चों का शारीरिक–भौतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, समाज–संवेगात्मक नैतिक विकास, सांस्कृतिक विकास, संवाद के लिए प्रारंभिक भाषा, साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान के विकास में अधिकतम परिणामों को प्राप्त करना है ।वर्तमान समय मे ईसीसीई की सभी बच्चों तक पहुँच न होने के कारण बालकों का एक बड़ा हिस्सा प्रारम्भिक बुनियादी शिक्षा से वंचित रह जाता है इसके लिए एनसीईआरटी और एनसीटीई के द्वारा कक्षा एक के विद्यार्थियों के लिए अल्पकालीन तीन महीने का प्ले–आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल बनाया जायेगा जिसमे सभी गतिविधियों के साथ अक्षर, ध्वनियां शब्द, रंग, आकार इसके साथ अन्य कार्य जैसे सामाजिक कार्य, मानवीय संवेदना, अच्छे व्यवहार, शिष्टाचार, नैतिकता, व्यक्तिगत और सार्वजनिक स्वच्छता, समूह में कार्य करना और आपसी सहयोग को विकसित करने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। ईसीसीई का समग्र उद्देश्य बच्चों का शारीरिक–भौतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, समाज–संवेगात्मक नैतिक विकास, सांस्कृतिक विकास, संवाद के लिए प्रारंभिक भाषा, साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान के विकास में अधिकतम परिणामों को प्राप्त करना

उपसंहार :–

भारत में पूर्व–प्राथमिक शिक्षा का क्षेत्र काफी अरसे तक उपेक्षित रहा है। सर्वप्रथम पूर्व–प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना का प्रयास ईसाई मिशनरियों के द्वारा इस देश में आरम्भ किया गया। ईसाई मिशनरियों ने या तो प्रारम्भिक विद्यालयों में पूर्व–प्राथमिक कक्षायें खोलकर अथवा पृथक् रूप से पूर्व–प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना करके इस स्तर की शिक्षा को प्रोत्साहित किया। सन् 1944 ई० में सार्जेण्ट योजना में पूर्व–प्राथमिक

शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा–प्रणाली का एक आवश्यक अंग के रूप में स्वीकार किया गया। इसी सिफारिशों के अनुसार शहरी तथा ग्रामीण अंचलों में पूर्व–प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की गयी। सार्जेन्ट योजना के अनुसार प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य बालकों को औपचारिक शिक्षा प्रदान न करके सामाजिक अनुभव प्रदान करना था। लेकिन फिर भी स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व हमारे देश में पूर्व–प्राथमिक शिक्षा का विस्तार अत्यन्त सीमित तथा असंतोषजनक रहा स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त माध्यमिक शिक्षा आयोग ने पूर्व–प्राथमिक शिक्षा के सीमित विस्तार, व्ययशील तथा प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी की ओर हम लोगों का ध्यान आकृष्ट किया। इसके बाद कोठारी आयोग ने पूर्व–प्राथमिक शिक्षा के सीमित विस्तार के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं। पूर्व–प्राथमिक शिक्षा के विकास में हमारे देश में कई समस्याएँ बाधक सिद्ध हो रही हैं, जैसे उद्देश्य की अस्पष्टता, दायित्व की अस्पष्टता, दोषपूर्ण शिक्षण–विधियाँ तथा पाठ्यक्रम, विदेशी शिक्षण–प्रणालियों का अंधानुकरण आदि। इन दोषों करने के लिये जो महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं, उनकी ओर हमें ध्यान देना चाहिए। ईसीसीई को पूर्ण रूप से प्रभावी बनाने के लिए यथासंभव प्रयास करने होंगे।

संदर्भ सूची :–

सारस्वत, एम., एवं बाजपेई, एल. बी. (2000) *:भारतीय शिक्षा का विकास एवं सामयिक समस्याएं.* आलोक प्रकाशन, लखनऊ.

सारस्वत, एम., एवं मदन, एम. (1999–2000). *भारतीय शिक्षा का इतिहास.* कैलाश प्रकाशन, इलाहाबाद.

एन.सी.ई.आर.टी. (n.d.). पूर्व प्राथमिक शिक्षा. pp 12,17,35,48.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (2020). *एनईपी 2020.* मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली.

सिंह, के. (1996). *भारतीय शिक्षा का इतिहास एवं समस्याएं.* गोविन्द प्रकाशन.

पाठक, पी. डी. (2014–2015). *भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएं.* अग्रवाल पब्लिकेशन.

How to cite reference of this paper-

चौरसिया, पी. (2023). बाल्यावस्था देखभाल एवं पूर्व–प्राथमिक शिक्षा :राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020. *Educational Metamorphosis 2*(1), 108-113.